राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 10 मई, 2010/20 वैशाख, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 5th May, 2010

No. Rev. B.F.(10)-142/2007.—In continuation of this Department notification of even number dated 26-2-2009, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify Smt. AnitaTegta, Special Secretary (Revenue) to the Government of Himachal Pradesh as Member of the Committee constituted to visit and submit its report with regard to land measuring 98-94-39 hectares, situated in Mauza Lanod, Tehsil Baijnath, District Kangra which is proposed to be sold by Sh. Ravinder Lal and Ors to M/s Aesthete Colonizers Pvt. Ltd. for setting up a residential colony, in place of Sh. Rakesh Kaushal, Secretary (Revenue) and to extend the term of the Committee upto 30-6-2010.

By order,
HARINDER HIRA,
Addl. Chief Secretary.

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 7 मई, 2010

संख्या 5–17/2009–ईएलएन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में अनुभाग अधिकारी, वर्ग–I, राजपत्रित (लिपिक वर्गीय सेवाएं) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–''क'' के अनुसार निम्नलिखित भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग अनुभाग अधिकारी, वर्ग–I, राजपत्रित (लिपिक वर्गीय सेवाएं) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृतियां.**—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5–15/97–ईएलएन., तारीख 28 मई, 2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
सचिव ।

————————

उपाबन्ध–''क''

हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में अनुभाग अधिकारी, वर्ग–I, (राजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. **पद का नाम.**—अनुभाग अधिकारी।

2. **पदों की संख्या.**—2 (दो)।

3. **वर्गीकरण.**—वर्ग–I, (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)।

4. **वेतनमान.**—वेतन बैंड़ग्रेड वेतन (Rs.10300–34800+5000)

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**—अचयन।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**—लागू नहीं।

7. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं.**—लागू नहीं।

8. **सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं.**— **आयु** : लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.––दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.––शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.––वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 11 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका कनिष्ठ सहायक/लिपिक के सामान्य लिपिकीय संवर्ग सहित संयुक्त रूप से 19 वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके 19 वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो, जिसमें से वरिष्ठ सहायक के रूप में 8 वर्ष का सेवाकाल होना अनिवार्य है।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जायेंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदाधिकारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी इनमें से कम हो, होगीः

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझें जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोवलाईजड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नान–टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अर्न्तगत भर्ती किया गया है और इनके अर्न्तगत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज)रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी, यदि ऐसी तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरचना.——जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.——लागू नहीं।

16. आरक्षण.——सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.——सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय–समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.——जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

————

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-17/2009-ELN, dated 7-5-2010 as required under Clause (3) of Article-348 of the Constitution of India].

"ELECTION DEPARTMENT"

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 7th May, 2010

No. 5-17/2009-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Recruitment & Promotion Rules for the post of Section Officer, Class-I, Gazetted (Ministerial Services) in the Election Department, Himachal Pradesh as per **Annexure-"A"** attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Section Officer, Class-I, Gazetted (Ministerial Services) Recruitment & Promotion Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Election Department, Section Officer, Class-I, (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2003 notified *vide* this department's notification No.5-15/97-ELN, dated 28 May, 2003 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made, or anything done or any action taken under rules so repealed under Sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Secretary.

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SECTION OFFICER, CLASS-I, (GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF E LECTION, HIMACHAL PRADESH

1. **Name of the post.—**Section Officer.

2. **Number of posts.—**2 (two).

3. **Classification.—** Class-I, (Gazetted). (Ministerial Services).

4. **Scale of pay.—**Pay Band +Grade Pay. (Rs.10300-34800+5000).

5. **Whether selection post or nonselectionpost.—**Non Selection.

6. **Age for direct recruitment.—** Not applicable.

7. **Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.—**Not applicable.

8. **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**? **Age :** Not applicable. **Educational Qualification.**: Not applicable.

9. **Period of probation, if any.—** Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. **Method of recruitment-whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—** 100 % by promotion.

11. **In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/transfer is to be made.—**By promotion from amongst the Senior

Assistants having eleven years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst Senior Assistants having 19 years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Senior Assistants in the Common Clerical Cadre of Junior Assistants/Clerk which shall include 8 years essential service as Senior Assistant.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible persons happened to be Ex- Servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal PradeshTechnical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to beconsulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons prescribed by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H. P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Power to relax.— Where the state Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or post(s).

ब अदालत श्री कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती ज्ञानो देवी पत्नी स्वर्गीय श्री पृथी सिंह, गांव सम्वी, तप्पा बमसन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्रीमती ज्ञानो देवी प्रार्थिया ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित आवेदन किया है कि उसके पति श्री पृथी सिंह पुत्र श्री महन्त राम की मृत्यु 13–4–1971 को गांव सम्वी में हुई है। परन्तु ग्राम पंचायत भोरंज में मृत्यु तिथि पंजीकृत नहीं हुई है। जिसके पंजीकरण बारे ग्राम पंचायत भोरंज को आदेश दिए जाएं।

इस नोटिस/इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जात है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को आवेदिका के पति श्री पृथी सिंह की मृत्यु की तिथि के पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में 17–5– 2010 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा प्रार्थिया के शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थिया के पति स्वर्गीय श्री पृथी सिंह की मृत्यु की तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत भोरंज को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7–4–2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कुलदीप पटियाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कुलदीप पटियाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री गोकल राम, गांव टूह, डा0 डुंगरी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

लोक निर्माण विभाग

शुद्वि पत्र

शिमला–2, 7 मई, 2010

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)165/2008.–इस विभाग द्वारा जारी की गई संमसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27–03–2010 (गांव ठण्डोल, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा में भवारना–जयसिंहपुर सड़क हेतु धारा–4 भू–अर्जन अधिसूचना) में खसरा नम्वर ''2846/24621/1'' के स्थान पर खसरा नम्वर ''2846/2462/1'' पढ़ा जाये । रकवा यथावत रहेगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

————————

लोक निर्माण विभाग

शुद्वि पत्र

शिमला–2, 7 मई, 2010

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)177/2009.–इस विभाग द्वारा जारी की गई संमसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03–12–2009 (गांव चंजेहड़, तहसील पालमपुर, जिला कांगडा में भवारना–जयसिंहपुर सड़क हेतु धारा–4 भू–अर्जन अधिसूचना) में खसरा नम्वर ''538/436/2'' रकवा ''0-01-01'' के स्थान पर खसरा नम्वर ''538/436/2'' रकवा ''0-01-72'' तथा कुल किता 17 रकवा ''0–19–71 है0'' पढ़ा जाये ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
प्रधान सचिव।

————————

LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, May, 2010

No. Shram(B)1-1/2006(Estt.).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-designate existing two posts of Assistant Director (Factories), presently being manned by S/Shri S. K. Dhiman and Sh. A.K. Sood, to that of Deputy Director (Factories) as a measure personal to them in the Department of Labour & Employment with immediate effect. This re-designation will not result in any additional financial benefit to these two officers and there will be no change in their pay scales/pay band.

By order,
ANIL KHACHI,
Secretary.

This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 06 नवम्बर, 2017 / 15 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 29 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)72/2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि/बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra Nos.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	2/2010	Dewathi -I	Dewathi	109, 110, 222. Kitta 3	49-88-96	North: Dewathi South: Dewathi East: Dewathi West: Dewathi	Saranh	Chopal	Shimla

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 3 नवम्बर, 2017

संख्याः 5–17/2009–ईएलएन.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्याः 5–17/2009–ईएलएन. तारीख 7–5–2010 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग **अनुभाग अधिकारी,** वर्ग-I (राजपत्रितं), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियमए 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रितं), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियमए 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध–''क'' का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियमए 2010 के उपबन्ध– ''क'' में,–

(क) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

''पे बैण्डः 15600–39100/– रुपए जमा 5400/– रुपए ग्रेड पे ''।

(ख) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः–

''अधीक्षक, ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर अधीक्षक, ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका अधीक्षक, ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक के रूप में संयुक्ततः नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अधीक्षक, ग्रेड-II के रूप में दो वर्ष का अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगा :

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

(*i*) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने के लिए पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज़, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज़, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत् भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(*ii*) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् स्थायीकरण के फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।''

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
सचिव (निर्वाचन)।

[Authoritative English text of this Department's Notification No. 5-17/2009-ELN, dated 03-11-2017 as required under Clause (3) of article-348 of the Constitution of India].

ELECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, *the* 3rd *November*, 2017

No. 5-17/2009-ELN.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Election Department, **Section Officer Class-I**, (Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2010, notified vide Notification No. 5-17/2009-ELN, dated 7-5-2010, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Election Department, Section Officer, Class-I, (Gazetted) Ministerial Services, Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2017,—

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".— In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Election Department, Section Officer, Class-I, Gazetted (Ministerial Services) Recruitment and Promotion Rules, 2010:—

(a) For the existing provisions against column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"Pay band Rs.15600-39100+5400/- Grade Pay".

(b) For the existing provisions against column No. 11, the following shall be substituted namely:—

"By promotion from amongst the Superintendents, Grade-II, having 03(three) years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, rendered if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Superintendents, Grade-II having 09 (nine) years regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, rendered if any, combined as Superintendents, Grade-II and Senior Assistant which shall include 02 years essential service as Superintendent, Grade-II :

(1) In all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotion Rules.

(*i*) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on *adhoc* basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view

of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration :

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion, if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with provision of the Recruitment and Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order,
Sd/-
Secretary (Election).

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171009, 04 नवम्बर, 2017

संख्याः 7–6/2011–ई0एल0एन0–भारत निर्वाचन आयोग के आदेश सं0 3/4/आईडी/ईसीआई/प्रकार्या./न्यायिक/एसडीआर/खण्ड–1/2017 दिनांक 01 नवम्बर, 2017, जिसमें हिमाचल प्रदेश विधान सभा निर्वाचन–2017 के मतदान के दौरान आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के वैकल्पिक दस्तावेजों को निर्धारित किया गया है, को इसके अंग्रेजी रूपांतर सहित, जनसाधारण की सूचना हेतू प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
पुष्पेन्द्र राजपूत,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।